

हिमांशु त्रिवेदी

एडवोकेट



चेम्बर : पं. राजेन्द्र शंकर त्रिपाठी
अधिवक्ता भवन (निकट पुरानी हवालात के पास)
कचेहरी-उन्नाव

9696936832
8299456760

निवास : 667, सिविल लाइन,
(जजेज कॉलोनी के पीछे)
उन्नाव-209801

पत्रांक :

दिनांक : 15/4/2024

To,

M/s Treadstone Limited
Regd. 52/3, 4, 5 Block T Fazal ganj, Kanpur

Sub : Opinion cum non encumbrances certificate in respect of Plot No. 1503, 1504, 1506 & 1507 admeasuring 1.671 hect. situated at Magarwara Unnao UP.

M/s Treadstone Limited, Kanpur

Sir,

BRIEF NARATION OF CHAIN TITLE :

- 1.1 The Kanpur Development Authority, hereinafter referred as "KDA" is a Statutory Authority constituted under the Housing & Urban Planning, Uttar Pradesh for the purpose of development of weaker section by allotting EWS house by following the rules and regulation of PMAY Scheme.
- 1.2 The TREADSTONE LIMITED is the owner of land of 1.671 Hect., situated at Magarwara, Unnao to leaseout said land for a term of 99 yrs. As the lead members of consortium M/s. Treadstone Ltd. a company duly incorporated under the companies Act, 1956, having its Regd. Office at 52/3, 4, 5, Block-t, Fazalganj, Kanpur-208012, Uttar Pradesh, through its Directors Mr. Krishan Kumar Wadhwa & Mrs. Alka Wadhwa.
- 1.3 That the per terms and conditions of the said acceptance letter, the as per PMAY guidelines the carpet area of EWS Unit is Rs. 6,09,000 (Rupees Six Lakhs Nine Thousand Only). Out of which Rs. 1,50,000 will be payable by the Central Government and Rs. 1,00,000 will be payable by the State Government and Rs. 3,59,000 will be paid by the Allottes.

HAD

Himanshu Trivedi
Advocate-Unnao
Reg. No.-UP05436/12
Mob. No.-8299456760

.....2

::2::

1.4 That by virtue of the aforesaid lease deed as well as powers conferred by the KDA is entitled to raise the constructions of the multi-story buildings, in accordance with the sanctioned plan of Kanpur Development Authority and is empowered to assign the leasehold right for the remaining period and to sale of superstructure to be carried out by said Treadstone Ltd.

EMCUMBRANCES w.e.f. 2012 of 2024 :

I have been instructed to give the report regarding non encumbrances over said property, therefore I have got inspected the available records in respect of plot no. 1503, 1504, 1506, 1507, admeasuring 1.671 Hect. situated at Magarwara, Unnao, in the office of Sub Registrar, Unnao, from **2012 to 2024** no encumbrance has been found and the premises is free from encumbrances and M/s Treadstone Ltd. is having perfect and good marketable title over the said plot/premises. The receipt issued by Sub Registrar Unnao Zone no. **2** bearing **receipt no. 2202434400280** dated **14/03/2024** is being attached herewith

Submitted accordingly,

Yours Truly,

For, Treadstone Limited

through

(Himanshu Trivedi)

Advocate

H. Adv
Himanshu Trivedi
Advocate-Unnao
Reg. No.-UP05436/12
Mob. No.-8299456760

कार्यालय उपनिबन्धक सदर उन्नाव जनपद उन्नाव

आवेदन संख्या :2202434400280

प्रमाण संख्या :22024344000275

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- कृष्ण कुमार बाघवा पुत्र- स्व० ओमप्रकाश बाघवा तहसील उन्नाव जिला उन्नाव ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - मगरवादा, चार्ड/परगना- हड़हा, कृषि- कृष्ण कुमार बाघवा पुत्र स्व० ओमप्रकाश बाघवा निवासी सी सर्वोदय नगर कानपुर, भूमि नं० 1503 व 1504 व 1506 व 1507, 1503 आदि

मे एताद्वारा प्रमाणित गरता हूँ कि इंडेक्स सं० 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 14/03/2012 से दिनांक 14/03/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

क्रम सं०	सम्पत्ति का विवरण	लेखपत्र के पंजीकरण की तिथि	लेखपत्र का प्रकार/ लेखपत्र का मूल्यांकन	पक्षकारों के नाम	लेखपत्र का क्रमांक/वर्ष
1	कृषि	02/03/2024	बंधक पत्र (बिना कब्जा)/7143000	विक्रेता-कानपुर डे०आ०के द्वारा श्री मनोज कुमार /क्रेता- श्रीमती मे०ट्रेड स्टोन लि०कम्पनी के द्वारा श्रीमती अल्का बाघवा पत्नी श्री कृष्ण कुमार बाघवा	4763/2024

दिनांक :14-03-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: राज कुमार।

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: फिरोज रिजवी।

RAJESH
KUMAR
SAROJ

Digitally signed by
RAJESH KUMAR
SAROJ
Date: 2024.03.14
19:15:33 +05'30'

उपनिबन्धक सदर
उन्नाव

